तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 45/2025 (2025/157) गुलाबसिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

11-6-2025

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी गुलाबसिंह पुत्र खीमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी भाचरणा तहसील लूणी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम भाचरणा तहसील लूणी के खसरा नम्बर 36 रकबा 8.1780 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 76 रकबा 2.5657 कुल 10.6837 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम सद्‌भाविक भूल से गुलाबराम पुत्र खीमाराम दर्ज है, जबकि प्रार्थी का सही नाम गुलाबसिंह पुत्र खीमसिंह जाति रावणा राजपूत है। इसलिए प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में गुलाबराम पुत्र खीमाराम के स्थान पर गुलाबसिंह पुत्र खीमसिंह जाति रावणा राजपूत सही दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/1572 दिनांक 26.05.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार लूणी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम भाचरणा के खसरा नम्बर 36 रकबा 8.1180 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 76 रकबा 2.5657 हैक्टेयर में गुलाबराम पुत्र खीमाराम जाति रावणा राजपूत हिस्सा1/3 दर्ज है। प्रार्थी का नाम जरिये विरासत का नामान्तरकरण संख्या 373 के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड इत्यादि में गुलाबसिंह पुत्र खीमसिंह दर्ज है। तथा गुलाबराम व गुलाबसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी का नाम गुलाबराम पुत्र खीमाराम के स्थान पर गुलाबसिंह पुत्र खीमसिंह किया जाना उचित बताया।

उपरोक्त विवेचन तथा तहसीलदार लूणी की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम भाचरणा के खसरा नम्बर 36 रकबा 8.1180 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 76 रकबा 2.5657 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम गुलाबराम पुत्र खीमाराम हिस्सा 1/3 के स्थान पर गुलाबसिंह पुत्र खीमसिंह हिस्सा 1/3 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी